

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी० ए० संख्या-28/2020

अभय कुमार वर्मा उर्फ

अबह कुमार वर्मा

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य

.... विपक्षी पक्ष

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्ता के लिए: श्री सुधीर कुमार रॉय, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिए : श्री गौरी एस० प्रसाद, ए०पी०पी०।

04/03.02.2020 श्री सुधीर कुमार रॉय, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस याचिका को वापस लने की अनुमति मांगी।

अनुमति दी गई है।

इस आवेदन को वापस ले लिया गया है।

ह०

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया०)